न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 37 / 2020

1 हनुमान पुत्र हेमला जाति आचार्य निवासी दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी (मृत्यु दिनांक 27.12.2017)

1/1 सरबती देवी उम्र 82 वर्ष पत्नी हनुमान

1/2 सुरेश पुत्र हनुमान उम्र 47 वर्ष जाति आचार्य निवासीगण दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1/3 रामनिवास उम्र 52 साल पुत्र हनुमान जाति आचार्य निवासी दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.) (कायम मुकाम प्रतिवादी नम्बर 1 हनुमान जो अपीलांट के साथ नहीं है इस कारण उसे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/3 बनाया गया है।)

2 अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप उम्र 26 साल

3 दीपक कुमार पुत्र रामस्वरूप उम्र 14 साल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता विमला देवी स्त्री रामस्वरूप समस्त जाति आचार्य निवासीगण दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

4 हरिसिंह पुत्र प्रताप सिंह

5 भवानी सिंह पुत्र बाघसिंह

जाति राजपुत निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी।

6 युनाईटेड कोमर्शियल बैंक गुढागौडजी जरिये शाखा प्रबंधक

7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनू)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री एस.डी.ओ.
उदयपुरवाटी प्राथमिक दिनांक 24.04.2018 जिसके
आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2018
को मुकदमा नम्बर 19/2013 पुनः नम्बर पर लेने
पर मुकदमा नम्बर 119/2014 उनवानी बद्री
बनाम हनुमान वगै. बाद में संसोधन टाईटल
अनिल कुमार बनाम हनुमान वगै. का हुआ है

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2013, 119/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2018, 19.12.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 446, 447 का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद व जवाब दावा के अनुसार तनकीयात बनाई थी, लेकिन तनकीयात के अनुसार न तो कोई निर्णय किया और दिनांक 07.05.2018 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय करके प्राथमिक डिक्री जारी की है उसमें भी कोई प्राथमिक डिक्री करने और निर्णय के कोई आधार दर्ज नहीं किये है। न्यायालय को स्पीकिंग आदेश और निर्णय करना चाहिए। अपीलांट को कभी कोइ तलबी के नोटिस जारी नहीं हुये, न ही कभी कोई सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 21.10. 2018 को पटवारी हल्का ने जो मौके का तकमीना बनाया है वह घर बैठे ही बनाया है विचारण न्यायालय का निर्णय में आदेश है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकार की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार करें। न तो तहसीलदार ने मौके पर जाकर विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया है और न ही अपीलान्ट को उपस्थिति का कोई नोटिस दिया है न ही अपीलांट मौके पर उपस्थित थे, नही उनके विभाजन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है एक पक्षीय बाला–बाला विभाजन का प्रस्ताव बनाकर पेश किया है। एक तरफा विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 19.12.2018 को अन्तिम डिक्री जारी की गई है वो भी एक पक्षीय ही बिना अपीलान्ट को कोई सूचना दिये, बिना तामिल करवाये जारी की है। अगर अपीलान्ट को विभाजन के प्रस्ताव व प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री का ज्ञान होता तो उसका एतराज निश्चित रूप से अपीलान्ट करते, लेकिन अपीलान्ट को कोई सूचना ही नहीं थी, इसलिये बिना सूचना के ऐतराज किया जाना संभव नहीं था। दोनों भाईयों में अपीलान्ट के पूर्व हनुमान के जवाब के अनुसार वास्तविक रूप से मिति श्रवण बदी 10 शुक्रवार सम्वत 2029 को ही मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा हो चुका था। जिसकी लिखापढी पर हनुमान व बद्री के हस्ताक्षर है और उसी प्रकार से जब सैटलमेंट आया तो कब्जे काश्त के अनुसार से अलग–अलग खसरा नम्बर डालकर अलग–अलग सीमा नक्शे में दिखाई गई है, दोनों खसरा नम्बर के मध्य काफी बड़े पेड़ व पीलर लगे हुये है, डोला लगा हुआ है। दोनो भाईयों ने अलग–अलग अपने हिस्से की भूमि में चाह बना रखे है और विद्युत संबंध लगा रखे है और रिहायश कर रखी है। मिट्स एण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

बाउण्डस से स्थाई रूप से विभाजन है, सिर्फ कागजों में राजस्व रिकार्ड शामलाती है, लेकिन उक्त तथ्य का खुलासा न तो विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में किया है और न ही एक पक्षीय विभाजन का प्रस्ताव पटवारी ने बनाकर पेश किया उसमें सही स्थिति का अंकन नहीं किया है। पटवारी द्वारा विभाजन का प्रस्ताव बनाना भी विधि विरूद्ध है। तहसीलदार को आदेश दिया था, तहसीलदार न तो मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव बनाया और न ही मौके पर गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.05.2018 की है व अन्तिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 की है, जिसका अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अपीलान्ट को कभी कोई नोटिस ही जारी नहीं हुआ, न ही अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा कोई सूचना दी गई, ना ही तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की कोई सूचना दी गई, किसी प्रकार की कोई सूचना व नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण अपीलान्ट को इन डिक्रीयों का कोई ज्ञान ही नही था। अब अपीलान्ट ने के.सी.सी. बनाने के लिये जमाबंदी की नकल ली और उदयपुरवाटी न्यायालय से तमाम दस्तावेजात की कोपी निकलवाई तो वस्तुस्थिति का अपीलान्ट को पता चला और ज्ञान से तुरन्त ही अपील अन्दर मियाद आवेदन धारा 5 के साथ पेश की जा रही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील एक साथ प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्राथमिक व अंतिम डिक्री की एक अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। प्राथमिक डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में सक्षम स्तर से तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस पर विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर होने का दिन प्रतिदिन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील एक साथ प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्राथमिक व अंतिम डिक्री की एक अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। प्राथमिक डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में सक्षम स्तर से तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस पर विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर होने का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर